दिनांक 09.06.2020 स्वच्छ एवं सुदर भिलाई

बिना मास्क लगाए बाहर निकलने वाले 87 लोगो पर निगम ने लगाया 8320 रुपए जुर्माना

भिलाईनगर/ मास्क लगाए बिना या फेस कवर किए बिना ही घर से बाहर निकलने वालों पर निगम की टीम ने जुर्माना लिया। निगम की टीम वैशालीनगर , एकता चौक व ओम शांति ओम चौक सहित विभिन्न क्षेत्रों मे बिना मास्क लगाए आने-जाने वालों से अर्थदंड वसूलने की कार्यवाही किए। भिलाई निगम के सभी जोन में निगम के कर्मचारी टीम बनाकर अपने अपने क्षेत्र में दुपहिया व चार पहिया वाहनों मे अधिक सवारी का भी निरीक्षण कर रहे हैं अधिक लोग बैठे पाए जाने पर उनसे भी अर्थदंड लिया जा रहा है आज जोन 02 क्षेत्र में 87 लोगों से 8320 रुपए अर्थदण्ड लिया गया। नगर पालिक निगम, भिलाई क्षेत्र में कोविड - 19 नोवल कोरोना वायरस के रोकथाम के लिए मास्क का निरीक्षण किया जा रहा है और जो नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं उन पर कार्रवाई की जा रही है। घर से बाहर निकलने पर सभी को मास्क लगाना अनिवार्य है इसके अलावा बाजार व दुकानों में विक्रेता तथा ग्राहक को भी लेन देन के दौरान फेस कवर करने के साथ ही सोशल डिस्टेंस का पालन अति आवश्यक रूप से किया जाना है। जोन 02 के एआरओ संजय वर्मा ने बताया कि भिलाई निगम क्षेत्र में बिना मास्क लगाए हुए लोगों पर कार्यवाही करते हुए आज 87 लोगों से 8320 रूपए का अर्थदंड लिया गया।